न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति रीना छिम्पा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 81/2017

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

--वादी--

बनाम

1. देशराज पुत्र नानक राम जाति नायक निवासी भुटटीवाला तहसील श्रीकरणपुर।
2. बृजलाल पुत्र नानक राम जाति नायक निवासी भुटटीवाला तहसील श्रीकरणपुर।
3. देवराज पुत्र नानक राम जाति नायक निवासी भुटटीवाला तहसील श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादीगण--

दावा अन्तर्गत धारा 83,84,86 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 12.11.18

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 24 ओ मु0 नं0 52 की 23 बीघा 16 बिस्वा भूमि नानक राम पुत्र तारू राम के नाम दर्ज थी जो जरिये इन्तकाल संख्या 366 दिनांक 28.10.1999 वसीयत इन्तकाल से देशराज,बृजलाल, देवराज पिसरान नानकराम के नाम दर्ज हुई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम उपरोक्त भूमि दर्ज थी जिसमे देवराज ने दिनांक 24.05.2007 को 0.608 हैक्टर भूमि लालू राम पुत्र बीरबल राम को बेचान कर दी। इस भूमि मे कुतरी खाला पर 12 कीकर एवं 1 शीशम का पेड था। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार उक्त पेड बिना स्वीकृति काट लिये जिसे मौका पर जाकर कुर्क किया गया एवं मन्दर सिह पुत्र खेता सिह को सुपुर्द किये गये। इस विवादित भूमि का वाद संख्या 67/2014 अन्तर्गत धारा 53,88 आरटीए श्रीमान जी के न्यायालय मे विचाराधीन है। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि से हरे वृक्ष बिना अनुमति के काटे गये जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 86 की अवहेलना है इसलिये बिना स्वीकृत के पेड काटने के कारण प्रतिवादीगण पर भारी से भारी जुर्माना लगाया जावे। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकारी एवं श्रवणाधिकार मे है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री गुरदेव सिह अधिवक्ता उपस्थित आये एवं जवाब दावा पेश किया। जवाब दावा के अनुसार वाद पत्र की मद संख्या 1 स्वीकार है। मद संख्या 2 इस हद तक स्वीकार है कि दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है व मु0 नं0 52 मे कुतरी गैरमुमकिन खाला पर कीकर व शीशम के पेड होना स्वीकार है। पेड प्रतिवादीगण के द्वारा बिना अनुमति काटा जाना अस्वीकार है। मद संख्या 3 के अनुसार अंकित प्रकरण श्रीमान जी के न्यायायलय मे लम्बित होना स्वीकार है। शेष मद गलत होने के कारण अस्वीकार है। मद संख्या 4 कानूनी है।

अतिरिक्त कथन मे निवेदन किया कि मु0 नं0 52 मे नहरी भूमि को सिचित करने के लिये जिस पर कीकर व शीशम के पेड मौजूद थे। सरकार की ओर से इस कुतरी खाला को पक्का निर्माण किया जा रहा था पक्का खाला के निर्माण हेतू मौजूदा पेडो का काटना जरूरी था। इसलिये ठेकेदार जो खाला का निर्माण करवा रहा था, ने जो वृक्ष खाला के निर्माण मे बाधा डालते थे उन्हे ठेकेदार द्वारा काटा गया है। अप्रार्थी द्वारा नही काटा गया है। खाला के निर्माण हेतू वृक्षो को काटने पर अनुमति की आवश्यकता नही है। इसलिये वाद पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

बहस सुनी गई। पैरोकार राज के द्वारा अपनी बहस मे वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये वाद पत्र स्वीकार हेतू निवेदन किया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस मे जवाब दावा मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया रिपोर्ट पटवारी मे भी कुतरी खाला से पेड काटे जाने का तथ्य अंकित है परन्तु यह तथ्य कही अंकित नही है की उक्त पेड प्रतिवादीगण द्वारा काटे गये है। मात्र यही अंकित है कि कुतरी खाला से अनेक वृक्ष काटे गये है जिन्हे कु र्क कर बहक सरकार कब्जा मे लिया गया है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का के द्वारा तैयार फर्द मौका मे यह तथ्य अंकित नही है कि उक्त पेड प्रतिवादीगण के द्वारा काटे गये है मात्र यह अंकित है कि कुतरी खाला से वृक्ष काटे गये है। जिन्हे कुर्क किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने जवाब दावा मे अंकित किया है कि इस कुतरी खाला को पक्का किये जाने पर निर्माण मे बाधा डालने वाले वृक्षो को ठेकेदार द्वारा काटा गया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

उक्त तथ्यो को विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य नही होने पर खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 12 वृक्ष कीकर एवं 1 वृक्ष शीशम कुल 13 वृक्षो को कमेटी गठित कर नियमानुसार निलामी द्वारा विक्रय कर निलामी से प्राप्त राशि राजकोष मे जमा करवाना सुनिश्चित करे एवं इस न्यायालय को इस संबंध मे अवगत करवाया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक .12.11.18.. मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{श्रीमति रीना छिम्पा आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner